राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मण बनाम सुरजा 340/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/05/2026 को पेश हो |	
25/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/09/2012 पारित करते हुये तहसीलदार कोटपूतली को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 631, 635, 652, 653, 654, 657, 658, 659, 673, 679, 680, 682, 683, 684 वाके मौजा टसकोला, तहसील कोटपूतली के सभी रिकार्डेड सहखातेदारान का रिकार्ड व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये खातेदारान के बीच प्रस्तावित बंटवारानामा तैयार कर व लगान का निर्धारण करके कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/09/2012 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि के सभी रिकार्डेड सहखातेदारान का रिकार्ड व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | विधिअनुसार भी सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य प्रक्रियां है, जिसे अपील के माध्यम से उठाये गये तकनीकी बिन्दु के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/09/2012 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर